MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I had indicated my own difficulty. When the seats were not allocated, I was looking and searching for the hon. Members. I made three attempts. Today was my last attempt and I had indicated to the respective party leaders to complete the formality by the end of the day. Your point is well taken, though, it is not a point of order. Now motion for nomination to the Joint Committee on Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2022; Shri B.L. Verma.

## (उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

## MOTION FOR NOMINATION TO THE JOINT COMMITTEE ON MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमित प्रकट करती है कि यह सभा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022 से संबंधित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किए जाएँ:-

- 1. श्री घनश्याम तिवाड़ी
- 2. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
- 3. श्री धनंजय भीमराव महादिक
- 4. श्री रामचंद्र जांगड़ा
- 5. श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल
- 6. श्री सुखेन्दु शेखर राय
- 7. श्री एन.आर. इलांगो
- 8. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी
- 9. श्री सुजीत कुमार
- 10. श्री एस. निरंजन रेड्डी"

The question was put and the motion was adopted.